भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2238

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

स्टैंड-अप इंडिया योजना का कार्यान्वयन

2238. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और महिला उद्यमियों के बीच ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) की कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को एसयूपीआई के अंतर्गत संवितरित कुल ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है और महिला उद्यमियों के लिए किए गए आवंटन की तुलना में यह कितना प्रतिशत है;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि संभावित लाभार्थियों को इस योजना की जानकारी हो और आवेदन करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता उपलब्ध हो;

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को एसयूपीआई के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करने की सूचना मिली है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार हाशिए पर पड़े इन समूहों के बीच सतत व्यापार पद्धतियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में स्टैंड-अप इंडिया योजना की सफलता का मूल्यांकन किस प्रकार करती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) : स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ 05 अप्रैल, 2016 को हुआ था और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने और साथ ही कृषि से संबंद्ध गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, 2.50 लाख के आवंटित लक्ष्य की तुलना में कुल 2.51 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2024 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के लिए महिला उद्यमियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को संवितरित कुल ऋणों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)		**महिला**
पुरुष	**महिला**	
14%	6%	80%

(ग) तथा (घ): सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संभावित लाभार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ गहन प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मार्जिन राशि में कमी तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना शामिल है।

स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल (www.standupmitra.in) ऋण के लिए संभावित उद्यमियों को बैंकों से जोड़ने के अलावा व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास को मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण आवेदन भरने तक की सुविधा शामिल है।

जन समर्थ पोर्टल स्टैंड अप इंडिया योजना सहित सरकार प्रायोजित पंद्रह ऋणों और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

(ङ): वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों, हितधारकों के साथ परामर्श और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए मार्जिन राशि की अपेक्षा को '25 % तक ' से घटाकर '15% तक ' कर दिया गया है और कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

******